International Journal of Education and Science Research Review
E-ISSN 2348-6457
Volume-8, Issue-6 December- 2021
P-ISSN 2349-1817
www.ijesrr.org
Email- editor@ijesrr.org

"महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका का अध्ययन"

शोधार्थिनी
डॉ. नीतू पंवार
प्रवक्ता
शिक्षा विभाग
ताराचन्द वैदिक पुत्री डिग्री कॉलेज
मुजफ्फरनगर

शोध निर्देशक
डॉ. देवेन्द्र पाल सिंह तोमर
वरिष्ठ प्रवक्ता
समाजशास्त्र विभाग
जनता वैदिक कालेज
बड़ौत (बागपत)

सारांश–

मानव समुदाय का लगभग आधा हिस्सा महिलाओं का है, परंतु समाज में इनकी स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। शिक्षा के माध्यम से महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। शिक्षा ही उनकी स्थिति में सुधार का एक सशक्त माध्यम बन सकती है। महिला शिक्षा से न केवल महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा वरन हमारी भावी पीढ़ी भी सुसंस्कृत होंगी, परंतु भारत में नहीं पूरे विश्व में महिलाओं के प्रति भेदभाव और शोषण की नीतियों का सदियों से ही बोलबाला रहा है और आज जो भी शोषण हो रहा है काफी हद तक महिलाएं खुद भी जिम्मेदार हैं। उनके जीवन की सभी समस्याओं की जड़ अशिक्षा है इस सत्य से परहेज नहीं किया जा सकता है।

प्रस्तुत शोध पत्र में इसी समस्या उसके कारणों और निदान के बारे में अध्ययन किया गया है । प्रस्तुत शोध अध्ययन में मेरठ जनपद के रोहटा गांव का चयन किया गया है। रैंडम विधि द्वारा गांव से 100 उत्तरदाताओं का चयन देव निर्देशन विधि द्वारा किया गया ।इस अध्ययन के लिए साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया गया और प्राथमिक विधियों का सहारा लिया गया साथ ही सूचनाओं के संकलन के लिए लेखों पुस्तकों आदि की सहायता ली गई ।

प्रस्तुत शोध द्वारा यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पुरुषों की अपेक्षा निम्न स्तर की है जिसकों सुदृढ़ करने के लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है साथ ही शैक्षिक क्षेत्र में स्त्रियों के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करना अनिवार्य है।

प्रस्तावना––

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता" मनुस्मृति में वर्णित ये पंक्तियाँ नारी को सर्वोच्च स्थान प्रदान करती है अर्थात देवताओं का निवास वही होता है जहाँ नारी की पूजा होती है। कटु सत्य है कि अनंत काल से नारी को वह स्थान नहीं मिला जिसका वर्णन मनुस्मृति में किया गया है। वर्तमान समय में भी स्त्री पुरुष की समानता के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं लेकिन वस्तुस्थिति क्या है इसका पता शोध के उपरांत ही हो पाएगा।

महिलाओं की स्थिति में समय समय पर अंतर आता रहता है। प्राचीनकाल में अगर उसे देवी का स्थान दिया गया वहीं मध्यकाल में उसके अधिकारों को छीन लिया गया तथा उसे घर की चारदीवारी में कैद कर दिया गया।

धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या का अधिकार पुरुष के पास था इसलिए इन ग्रंथों का सहारा लेकर उसपर अनेक प्रकार के जुल्म ढाए गए तथा सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं का चलन किया गया। स्त्री जिसकी कोख से बालक जन्म लेता है वह जिसकी गोद में खेल कर वह बड़ा होता है बाद में उसी पर जुल्म ढाने लगता है कभी धर्म के नाम पर कभी अपनी सामाजिक स्थिति के आधार पर पुरुष सदियों से औरतों पर अत्याचार करते रहे हैं। इन अत्याचारों का एक बड़ा कारण महिला की अज्ञानता रही है। शिक्षा के दीपक द्वारा उस अज्ञानता रूपी अंधेरे का विनाश किया जा सकता है।

यद्यपि आज हमारे देश में महिला इंजीनियर, विमान चालक, व्यापार व्यवस्था संचालक सभी है परंतु नए क्षेत्रों के विभिन्न पदों पर स्थितियों की संख्या अभी संतोषजनक नहीं है। महिला उच्च शिक्षा के अनुपात में यह संख्या बहुत कम है। नारी स्थिति का पिछला कुछ सदियों का इतिहास देखते हुए यह कुछ अस्वाभाविक भी नहीं है।

महिला शिक्षा के माध्यम से ही समाज में संपूर्ण परिवर्तन लाया जा सकता है। महिला सशक्तिकरण हेतु नारी का शिक्षित होना व कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है इसलिए आज महिलाओं को शिक्षित बनाना राज्य की प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारी शिक्षा आयोग ने भी इस बात पर बल दिया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी स्वीकार किया गया है कि महिला शिक्षा का महत्व न केवल समाज के लिए जरूरी है बल्कि सामाजिक, आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

समस्या कथन——

प्रस्तुत लघु शोध पत्र को निम्नलिखित रूप से शब्दांकित किया गया है।

"महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका का अध्ययन"

अध्ययन के उद्देश्य——

प्रस्तावित शोध अध्ययन के लिए निम्न उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है।

1 महिला सशक्तिकरण में शिक्षा हेतु गठित विभिन्न आयोग एवं समितियों का परिचय तथा संस्तुतियों को लागू करना।

2 पंचवर्षीय योजनाओं में महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका का अध्ययन।

अवधारणाओँ का स्पष्टीकरण——

शिक्षा —— शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से निकला है जिसका अर्थ है सीखना। जब शिक्षण की बात कही जाती है तो वस्तुतः संस्कृत भाषा के अनुसार इसका अर्थ केवल अध्यापन ही नहीं होता वरन् सीखना भी होता है।

महिला सशक्तिकरण——

महिला सशक्तता का तात्पर्य महिला वर्ग पर प्रभाव या नियंत्रण रखने की क्षमता नहीं है बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि महिलाओं में इस प्रकार की क्षमता या शक्ति का विकास करना जिससे वे अपने जीवन का निर्माण अपनी इच्छानुसार कर सकने में सक्षम हो सकें।

अध्ययन की परिसीमाएं——

प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए केवल मेरठ जनपद का चयन किया गया है। मेरठ जनपद में कुल 12 विकास खंड हैं। शोधार्थी ने अपने इस अध्ययन में एक विकासखंड के अंतर्गत आने वाले गांव रोहटा का चयन किया है। रैंडम

निदर्शन विधि द्वारा उत्तरदाताओं का चयन किया जिसमें से 100 उत्तरदाताओं को न्यादर्श के तौर पर लिया गया।

पूर्व में किए गए शोध कार्य––

जैन,कैलाश चंद (2007) "शिक्षा स्वास्थ्य और जागरूकता"– महिला कल्याण की तीन कुंजी इस पुस्तक में बताया गया है कि भारत में महिलाओं से संबंधित ऐसे कई मुददे हैं जिन पर राज्य को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है इनमें से शिक्षा, स्वास्थ्य और जागरूकता मुख्य हैं। भारत जैसे विकासशील देश के लिए महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है क्योंकि देश की जनसंख्या का आधा भाग महिलाएं हैं।

कुमार, मीरा (2006) विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के वर्तमान दौर में शिक्षा का महत्व बढ़ गया है। हम सूचना समाज की दहलीज पर खड़े हैं। यह एक ऐसा समाज होगा जिसमें ज्ञान, कौशल और उत्कृष्टता की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी । इस बात को महसूस करते हुए कि शिक्षा में किया गया खर्च विकास, प्रगति और बेहतर भविष्य में ही किया गया निवेश है। सामाजिक न्याय मंत्रालय ने समाज के दुर्बल वर्ग में साक्षरता दर में आमूल परिवर्तन लाने के लिए कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

आशा शर्मा (2003) का कहना है कि राजस्थान सरकार ने बालिका शिक्षा के विस्तार करने के उद्देश्य से 1994–95 में ग्रामीण क्षेत्रों के आठ जिलों में सरस्वती योजना प्रारंभ की, जिसके अंतर्गत 100 प्राथमिक पाठशालाएं खोली गयी। इस योजना का विस्तार हुआ। अन्य जिलों में 1996–97 तक इन पाठशालाओं की संख्या 1000 हो गई थी।

कुसुम त्रिपाठी (2007)– महिलाओं में आत्मविश्वास बना रहे इसके लिए उन्हें आर्थिक और शैक्षणिक दोनों रूपों में मजबूत होने व करने की जरूरत है। इसके क्रम में महिलाओं के लिए शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम जैसे प्रयास केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड 1958 से कर रहा है।

प्रतोष शुक्ला (2007)दृ 1989 में प्रारंभ हुआ महिला समाख्या कार्यक्रम महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा की व्यवस्था करता है । आज महिला समाख्या नौ राज्यों के 13 जिलों में चलाई जा रही है। महिला समाख्या की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही है कि इससे बुनियादी स्तर पर महिला सशक्तिकरण की नींव डाली जा सकती है । महिला साक्षरता में बढ़ोतरी हो रही है। स्त्री पुरुष समानता और महिला सशक्तिकरण में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है।

अध्ययन विधि––

यह अध्ययन मुख्य रूप से अनुभव परख पद्धति के आधार पर पूरा किया गया। उत्तरदाताओं की सामान्य जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुसूची तथा साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया गया। प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों प्रकार की विधियों को प्रयोग में लाया गया। उसके साथ साथ सूचनाओं के संकलन के लिए सरकारी लेखों, प्रकाशित रिपोर्टों, लेखों व पुस्तकों की सहायता भी ली गयी।

आंकड़ों का संकलन––

आंकड़ों का संकलन साधारण कैलकुलेटर द्वारा किया गया तथा आवश्यकता पड़ने पर यांत्रिक साधनों और उपयुक्त संख्या की तकनीकी का सहारा लेकर इनका वर्गीकरण व विश्लेषण किया गया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत महिला शिक्षा हेतु गठित आयोग––

1 (राधाकृष्णन् आयोग 1948)

भारत सरकार ने 14 नवंबर को डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन् की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की।

2 (आचार्य नरेंद्रदेव समिति द्वितीय 1952)

भारत सरकार ने मार्च को आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति का गठन किया।

3 (मुदालियर आयोग 1952–53)

भारत सरकार ने 23 सितंबर को मद्रास विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉ लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया।

4 (दुर्गाबाई देशमुख समिति 1959)

सन 1958 में केन्द्रीय सरकार ने श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन किया।

5 (हंसा मेहता समिति 1962)

सन् 1962 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद ने श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में स्त्री शिक्षा के पुनर्गठन हेतु सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया।

6 (भक्तवत्सलम समिति 1963)

मद्रास राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने 1963 में स्त्री शिक्षा के संबंध में सुधार करने हेतु भक्तवत्सलम समिति कमेटी की नियुक्ति की थी।

7 (राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद 1964)

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत 1959 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी । सन् 1964 में इसका पुनर्गठन किया गया।

8 (कोठारी आयोग 1964–66)

सन 1964 में भारतीय शिक्षा पर समग्र रूप से सुझाव देने के लिए कोठारी आयोग की नियुक्ति की गई।

9 (स्त्री शिक्षा राष्ट्रीय समिति 1970)

स्त्री शिक्षा राष्ट्रीय समिति की स्थापना 1971 में स्त्री शिक्षा की उन्नति हेतु की गई थी।

10 (पांचवीं पंचवर्षीय योजना 1974–79)

सन 1974 में पांचवीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। सन् 1975 के वर्ष को यूनेस्को ने महिला वर्ष के रूप में मनाया।

11 (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986)

सन 1985 में शिक्षा की चुनौती नामक दस्तावेज को पूरे देश में जारी किया गया।

12 (आचार्य राममूर्ति समिति 1990)

तत्कालीन भारत सरकार ने अपने 7 मई 1990 के प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का परिवर्तित परिस्थितियों के संदर्भ में पुनः निरीक्षण करने के लिए एक समिति नियुक्त की।

13 (जनार्दन रेड्डी समिति 1992)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के संबंध में राममूर्ति समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1990 में प्रस्तुत की।

14 (रस्तोगी कमेटी 1997)

सन 1997 में यूजीसी ने प्रोफेसर आरपी रस्तोगी की अध्यक्षता में यह कमेटी गठित की।

महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष कार्यक्रम योजनाएं–

1 (स्वाधर योजना 2 जुलाई 2001) यह योजना केंद्र सरकार द्वारा आरंभ की गई है इसका उद्देश्य गंभीर परिस्थितियों में स्थित महिलाओं को समग्र व संबंधित सहायता प्रदान करना है।

2 (स्वावलंबन योजना1982)इस योजना का मुख्य उद्देश्य एवं कार्य महिलाओं को प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।

3 (स्वशक्ति योजना 1998) इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को बढ़ाना और रोजगार की दिशा में उन्हें प्रेरित करना है।

4 (महिला समाख्या कार्यक्रम)इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ऐसी योजना बनाना तथा उसे कार्यान्वित करवाना है जिसके माध्यम से महिलाओं को शिक्षित किया जा सके जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें।

5 (इंदिरागांधी इकलौती बालिका छात्रवृत्ति योजना 2005)इसके अंतर्गत माता पिता की इकलौती कन्या संतान को 6 से 12 कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा तथा विश्वविद्यालय स्तर पर इंदिरागांधी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान है।

6 (किशोरी शक्ति योजना आई०सी०डी०एस० 3) कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण एवं नगरीय किशोरियों को पोषाहार देने के साथ साथ स्वास्थ्य शिक्षा तथा व्यावसायिक कुशलता हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना है।

प्रस्तुत निम्नलिखित तालिकाओं के आधार पर महिलाओं में शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण को देखा गया है–

तालिका – 1

महिलाओं की पारिवारिक आर्थिक स्थिति सम्बन्धी विवरण

आर्थिक स्थिति	उच्च	निम्न	मध्यम	योग
	45 (45%)	35 (35%)	20 (20%)	100

महिलाओं की पारिवारिक आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में पूछे जाने पर 45: महिलाओं की आर्थिक स्थिति उच्च पायी गयी । 35: महिलाओं की स्थिति मध्यम तथा 20: महिलाओं की स्थिति निम्न थी ।.

तालिका – 2

क्या शिक्षा के माध्यम से लिंग भेद की समस्या को दूर किया जा सकता है ?

कथन की प्रतिक्रिया प्रतिशत में		
हां	नही	अनिश्चित
92 (92%)	4 (4%)	4 (4%)

तालिका 2 की प्रतिशतता 92:, 4:, व 4: उत्तर है जो क्रमशः हां, नहीं अनिश्चित की सूचना है । अतः आकंड़ो से स्पष्ट है कि शिक्षा के माध्यम से लिंग भेद की समस्या को दूर किया जा सकता है ।.

तालिका – 3

क्या महिला उत्थान के लिए शिक्षा आवश्यक है ?

कथन की प्रतिक्रिया प्रतिशत में		
हां	नही	अनिश्चित
92 (92%)	4 (4%)	4 (4%)

तालिका 3 की प्रतिशतता 92:, 4:, व 4: उत्तर है जो क्रमशः हां, नहीं अनिश्चित की सूचना है । अतः आकंड़ो से स्पष्ट है कि शिक्षा के माध्यम से लिंग भेद की समस्या को दूर किया जा सकता है ।.

तालिका – 4

क्या शिक्षित महिलाएं अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम है ?

कथन की प्रतिक्रिया प्रतिशत में		
हां	नही	अनिश्चित
92 (92%)	4 (4%)	4 (4%)

तालिका 4 की प्रतिशतता 92:, 4:, व 4: उत्तर है जो क्रमशः हां, नहीं अनिश्चित की सूचना है । अतः आकंड़ो से स्पष्ट है कि शिक्षा के माध्यम से लिंग भेद की समस्या को दूर किया जा सकता है ।.

तालिका – 5

क्या महिलाओ की सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए शिक्षा आव्यशक है ?

कथन की प्रतिक्रिया प्रतिशत में		
हां	नही	अनिश्चित
88 (8%)	8 (8%)	4 (4%)

तालिका 5 की प्रतिशतता 88:, 8:, व 4: उत्तर है जो क्रमशः हां, नहीं अनिश्चित की सूचना है । अतः आकंड़ो से स्पष्ट है कि शिक्षा के माध्यम से लिंग भेद की समस्या को दूर किया जा सकता है ।.

तालिका – 6

क्या शिक्षा के माध्यम से दहेज प्रथा जैसी सामाजिक समस्याओ को दूर किया जा सकता है ?

कथन की प्रतिक्रिया प्रतिशत में		
हां	नही	अनिश्चित
80 (80%)	10 (10%)	10 (10%)

तालिका 6 की प्रतिशतता 80:, 10:, व 10: उत्तर है जो क्रमशः हां, नहीं अनिश्चित की सूचना है । अतः आकंड़ो से स्पष्ट है कि शिक्षा के माध्यम से लिंग भेद की समस्या को दूर किया जा सकता है ।.

निष्कर्ष––

प्रस्तुत शोध के निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ ही है महिला को सम्मान देना, उसे आत्मनिर्भर बनाना, उसके अस्तित्व की रक्षा करना। 8 मार्च को महिला दिवस मनाकर यह कानून या अधिनियमों को बनाकर महिला सशक्तिकरण नहीं हो पाएगा। सरकार महिलाओं को हक तो दे सकती है पर जब उनके अपनों की सोच में परिवर्तन न आए या वे खुद अपने अंदर न लाए तब तक उनका चौखट से चौपाल तक आने का सफर आसान नहीं होगा। समाज में महिलाओं को अधिकार पूर्ण जगह दिलाने के साथ साथ उनके अंदर यह भाव जगाने की जरूरत है कि वे राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक किसी भी क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं है। अगर समाज भेदभाव के खिलाफ कुछ नहीं करता और सदियों से वंचित महिलाओं को उनका अधिकार नहीं देता तो देश के विकास का कोई मतलब नहीं है।

शोध की उपयोगिता––

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्वीकार किया गया है कि महिला शिक्षा का महत्व न केवल समाज के लिए जरूरी है बल्कि सामाजिक, आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तेज करने के लिए भी जरूरी है। शिक्षा के द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु विभिन्न आयोगों ने शैक्षिक संस्तुतियां प्रस्तुत की जिन्हें सरकार द्वारा लागू किया गया और कुछ को लागू किया जाना है इसलिए इसकी संस्तुतियां और उनके क्रियान्वयन पर शोध किए जाने का औचित्य है। प्रस्तुत शोध द्वारा ही महिला सशक्तिकरण की उन्नति व अवनति का ज्ञान प्राप्त होता है।

भावी अनुसंधान हेतु सुझाव––

यद्यपि शोधार्थी प्रस्तुत परिधि को विस्तृत करने की आकांक्षी थी किंतु विषय की असीमता को देखते हुए ऐसा नहीं किया जा सका । भावी अनुसंधान हेतु सुझाव निम्नवत हैं––

1 प्रस्तुत शोध केवल रोहटा गांव की महिलाओं को लेकर किया गया है । इसके आसपास के अन्य गांवों का भी अध्ययन किया जा सकता है।

2 प्रस्तुत शोध मेरठ जिले के संदर्भ में है। इसे उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों जहाँ आज भी पिछड़ापन एवं अशिक्षा है, को लेकर किया जा सकता है।

3 भविष्य में अन्य पिछड़े वर्गों अथवा बाल मजदूरी आदि विषय पर भी यह शोध किया जा सकता है।

4 अशिक्षा के कारण बाल विवाह आदि पर भी शोध के प्रासंगिक विषय हो सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1 काल, मेरिली (1995) "वीमेन एंड एम्पावरमेंटः पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग", जैड बुक्स लिमिटेड, लंदन एंड न्यू जर्सी।

2. कौर, सतनाम (1987) "वीमेन इन रूरल डेवलपमेंट– केस स्टडी" मित्तल पब्लिकेशन्स नई दिल्ली।

3. गिरिअप्पा एस (1998), "रोल ऑफ वीमेन इन रूरल डेवलपमेंट" दया पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली।

4. जैन, देवकी (1980), "वीमेन क्वेस्ट फॉर पावर विकास" पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली।

5. झा, के0 एन0 (1985),"वीमेन टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन" जानकी प्रकाशन नई दिल्ली।

6. देवासिया, लीलाम्मा (1999), "वीमेन पार्टिसिपेटरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट" दत्त संस पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नागपुर।

7. पांडे, रेखा एवं उपाध्याय नीलम, "वीमेन इन इंडियाः पास्ट एंड प्रजेंट" बूथ पब्लिकेशंस, इलाहाबाद।

8. पिल्लै, जया कोथार्ड (1995) "वीमेन एंड एम्पावरमेंट" ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।

9. बेग तारा अली(1976) "इंडियाज वीमेन पावर," एस0 चंद एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।

10. मेनन, लतिका (1998) "वीमेन एम्पावरमेंट चौलेंज ऑफ चेंज" कनिष्का पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली।